मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 30/2017 रा.वा.

उनवान

1. श्री तुलसीराम पिता गंगारामजी गर्ग उम्र बालिग निवासी बरोडा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

—वादी

बनाम

1. श्री मानसिंह पिता पहाडसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री मदनसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री केशरसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री सज्जनसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
5. श्री ईश्वरसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
6. श्री सुरवीरसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
7. श्री करणसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग

सभी निवासीयान माजावत, खीरावाडा, रोबा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काँश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 23.—12—2024 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि वादी का वाद साबित नही पाये जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 23.—12—2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी,
सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	—	शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प	2	—
2. शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प	02	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	02	—	योग	02	—

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 30/2017 रा.वा.
उनवान

1. श्री तुलसीराम पिता गंगारामजी गर्ग उम्र बालिग निवासी बरोडा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

—वादी

बनाम

1. श्री मानसिंह पिता पहाडसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री मदनसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री केशरसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री सज्जनसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
5. श्री ईश्वरसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
6. श्री सुरवीरसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग
7. श्री करणसिंह पिता मानसिंह राजपुत उम्र बालिग

सभी निवासीयान माजावत, खीरावाडा, रोबा तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 23.—12—2024

उपस्थितः— श्री सोहनलाल चोधरी अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1, 3, 5, 6, 7
प्रतिवादी सं. 2, 4— एक पक्षीय

::निर्णय::

वादी ने वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक व्यादेश का पेश कर अंकित किया कि मौजा बरोडा पटवारी हल्का बरोडा तहसील सलूम्बर की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता संख्या 382—490 आराजी नम्बर 224 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि वादी के गैर खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि स्थित है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हक, हिस्सा, स्वामित्व नही है। वादी गरीब काश्तकार होकर अकेला आदमी है तथा प्रतिवादीगण संख्या बल व ताकतबल मे अधिक है जो आये दिन वादी के कब्जे की भूमि में दखलंदाजी करते रहेते है ओर अपने व अन्य लोगो के जानवार घुसाकर वादी की भूमि पर जहाँ वादी ने थूअर की बाड कर रखी है मे जबरन नुकसान कारित करते है तथा मना करने पर लडाई—झगडा करते है। अभी हाल ही मे दिनांक 25—09—2016 को प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से वादी द्वारा रोपी गई बाड को उखाड दिया ओर जबरन अपने जानवर उसमे घुसाकर नुकसान कारित किया, उसी दिन से उत्पन्न हुआ जो प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। इसलिये मजबुर होकर वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ यह वाद पेश करना पड रहो है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे की प्रतिवादीगण स्वयं या उनके वारीसान, नौकर इत्यादी वादी के कब्जे काश्त की भूमि मे किसी तरह की कोई दखलन्दाजी नही करे न ही करावे। तथा दौराने वाद वादपत्र मे वर्णित वादी की कृषि भूमि या उसके किसी हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण कोई जबरन कब्जा कर लेते है तो प्रतिवादीगण से कब्जा पुनः वादी को आदेशात्मक व्यादेश से दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 4 के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 10–07–2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शेष प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी हाजिर आये जिन्होने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर अंकित किया कि– वादी का वादग्रस्त आराजी में कभी कब्जा नही रहा तो उसें बेदखल करने का प्रश्न ही नही है एवं दिनांक 25–09–2016 को या किसी अन्य दिनांक को कोई वाद कारण ही उत्पन्न नही होता है। प्रतिवादीगण ने विशेष कथन कर अंकित किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी को दिनांक 19–12–1978 को राजस्व अधिकारीयो एवं पटवारी से मिलीभगत कर अपने नाम आवटंन करा दी जबकि वादी का वादग्रस्त आराजी पर 19–12–1978 से पूर्व कभी कब्जा नही रहा न ही उसके पास इस बाबत् कोई दस्तावेज है एवं दिनांक 19–12–1978 के बाद भी वादग्रस्त आराजी पर वादी का कभी कब्जा काश्त नही रहा। वादी ने वादग्रस्त आराजी मिलीभगत कर गलत तरीके से एलोटमेन्ट करा दी जिसकी जानकारी प्रतिवादी को होने पर तुरंत ही प्रतिवादी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन निरस्त करने का पेश किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का उक्त जवाब दावा रेकॉर्ड पर लिया जाकर वादी का उक्त वाद निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली में वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1– क्या वादी मौजा बरोडा पटवार हल्का बरोडा आराजी नम्बर 224 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

–बजिम्मे वादी

2– आया वाद वर्णित भूमि पर वादी का कब्जा नही होने से एवं प्रतिवादी का 50 वर्ष पुराना कब्जा होने से वाद वादी खारिज योग्य है?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

3– दादरसी/अनुतोष?

वादी को न्यायालय द्वारा साक्ष्यवादी हेतु कई अवसर दिये गये। उसके उपरान्त भी वादी ने कोई गवाह पेश नही कराये न ही आदेशिका दिनांक 04–12–2024 वादी मय अधिवक्ता न्यायालय मे हाजिर आये जिससे साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली मे प्रतिवादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस में जवाब मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया की न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 19/2015 प्रा.प. अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 में निर्णय दिनांक 19–07–2019 द्वारा साबिक आराजी नम्बर 77/12 रकबा 5 बीघा पर वादी तुलसीराम पिता गंगाराम गर्ग के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 19–12–1978 को निरस्त कर दिया गया है तथा उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली मे पेश कर रखी है। उक्त साबिक नम्बर 77/12 से बने हाल आराजी 224 हाल जमाबंदी मे बिलानाम सरकार दर्ज अंकित है। अतः वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद मैने पूरी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तनकी नम्बर 1 साबित करने का भार वादी के जिम्मे है जिसे साबित करने एवं अपने वादपत्र की पुष्ठि मे वादी ने न्यायालय मे भी हाजिर होकर साक्ष्य एवं गवाह पेश नही कराये। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 19/2015 प्रा.प. अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 में निर्णय दिनांक 19–07–2019 तथा

यक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उनवान–श्री तुलसीराम बनाम श्री मानसिंह व अन्य

हाल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 224 रकबा 1.08 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम सरकार दर्ज अंकित है। तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय की जाती है। वादी वाद वर्णित भूमि का वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे खातेदार ही नही है अतः वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक व्यादेश साबित नही पाये जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से तैयार किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23–12–2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर